US-152
4-1-2022

MOST URGENT

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT 8TH LEVEL, B-WING,
I.P.ESTATE NEW DELHI – 110002

No.F.14(64)/ Power/VS/2021/4001 Dated: 30/12/2021

To

The Dy. Secretary (Legislation),
Question Branch,
Delhi Vidhan Sabha,
Old Secretariat
Delhi – 110054

Sub: Un-Starred Question No.152

Sir,

Please find enclosed copy of reply of the Un-Starred Question No.152 for 04.12.2021 (100 Copies each along with a data in PDF File Format in pen drive) for your kind information and further necessary action at your end please.

Yours faithfully,

Encl. As above

30/12/2021
(R.S.Samria)
Dy. Director (Power)

Copy to:-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity Department, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 Copies)
2. The OSD to Minister of Power, GNCTD

Scanned with CamScanner

विभाग का नाम :– ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :– आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या–152
दिनॉक :– 04.12.2021
प्रश्नकर्ता श्री अभय वर्मा
क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	अनधिकृत निमार्ण को हटाने के बाद सड़क के बीचों बीच आई बिजली के खंभों को सड़क के किनारे स्थानांतरित करने की क्या प्रकिया हैं, विरतृत जानकारी दें;	डीईआरसी ने सूचित किया है कि विद्युत लाइनों के स्थानांतरण को डीईआरसी (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 24 के अनुसार निपटाया जाता है। प्रतिलिपि सलंग्न है (संलग्नक क) बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि पोल की शिफटिंग का कार्य अनुरोधकर्ता एजेंसी की ओर से "Deposit work" के रूप में किया जाता है।
ख)	लक्ष्मीनगर विधान सभा क्षेत्र में विकास मार्ग के सौन्दर्यीकरण के अंतर्गत बिजली के खंभों को हटाकर उसे भूमिगत करने की सरकार की क्या योजना है और इस पर कुल कितना खर्च आएगा;	बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि विकास मार्ग के सौन्द्रर्यकरण का प्रस्ताव ई.टी.सी. के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।
ग)	क्या बिजली के मीटर बदलने का काम कोई निजी एजेंसी करती है, विवरण दें;	बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि बीवाईपीएल कर्मचारियों की देखरेख में मीटर बदलने का काम निजि ऐजेंसी करती है। विवरण संलग्न है (सलग्नक ख)
घ)	निजी बिजली वितरण कंपनियों द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को परेशान करने के लिए एवं अवैध वसूली के लिए उन पर बिजली के मीटर टैम्परिंग के आरोपों को लगाने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं; और	डीईआरसी ने सूचित किया है कि बिजली की चोरी को बिजली अधिनियम की धारा 135 के अनुसार निपटाया जाता है। प्रतिलिपि सलंग्न है (संलग्नक ग) इसके अलावा आयोग डीईआरसी (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 का अध्याय VII चोरी और अनियमितताओं की प्रक्रियाओं से संबंधित है। प्रतिलिपि सलंग्न है (सलग्नक घ) बिजली वितरण कंपनियों द्वारा सूचित किया गया है कि बिजली के मीटर टैम्परिंग के आरोप डीईआरसी की गाईडलाईन के अनुसार ही लगाए जाते है।
ड)	वर्ष 2021 में बिजली विभाग द्वारा लक्ष्मीनगर विधान सभा क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबल डालने एवं नये ट्रांसफार्मर बदलने एवं नये स्थानों पर ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य कितने स्थानों पर किया गया है व इन कार्यो पर कितना खर्च किया गया है?	बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि वर्ष 2021 में 6.37 करोड़ रूपये लक्ष्मीनगर विधान सभा क्षेत्र के रमेश पार्क, शक्रपुर, ललिता पार्क एवं न्यू बैंक इन्कलेव आदि के डवलपमेंट के कार्यो के लिए खर्च किए गए है।

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।

30/12/2021

(आर.एस.सामरिया)
उप–निदेशक (ऊर्जा)

R. S. SAMRIA
Dy. Director
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

Scanned with CamScanner

152 क

(2) इस प्रयोजन के लिए लाइसेंसधारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से मीटर को छेड़ा या निकाला नहीं जाएगा।

(3) किसी भी स्थिति में मीटर पर लगाई गई सील को क्षतिग्रस्त, नष्ट नहीं किया जाएगा या इससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

(4) सेवा लाइन और मीटर को लाइसेंसधारी की संपत्ति माना जाएगा और वे तब तक उसके नियंत्रण में रहेंगे जब तक वे लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली से जुड़े हों।

24. लाइसेंसधारी की विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया:–

(1) भूमि के मालिक या उसके उत्तराधिकारी, जिसने अपने हित में उक्त जमीन पर, नीचे, समूचे, पार, या उस पर मौजूदा विद्युत् लाइन या विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए निर्माण का अधिकार दिया है, वह वास्तविक प्रयोजनों के लिए अपनी जमीन के किसी भी हिस्से में विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन कर सकता है:

(2) विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को बदलने के लिए आवेदन लाइसेंसधारी को सौंपा जाएगा।

(3) आवेदन प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी साइट का निरीक्षण करेगा और प्रस्तावित स्थानांतरण की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करेगा।

(4) विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करने का अनुरोध केवल तब ही स्वीकार किया जाएगा, जबः–

(i) प्रस्तावित स्थानांतरण तकनीकी रूप से व्यावहारिक है, और

(ii) जमीन के मालिक या उसके उत्तराधिकारी अपने हित में विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को अपनी जमीन के किसी अन्य हिस्से या उसके द्वारा स्वामित्व वाली किसी अन्य भूमि या किसी अधिकार के किसी अन्य व्यवस्थित विकल्प में विद्युत लाइन और विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करने के लिए लिखित में सहमति देता है, और

(iii) भूमि के मालिक या उसके उत्तराधिकारी को यदि आवश्यक हो, तो सड़क काटने या रास्ते के अधिकार के लिए आवश्यक अनुमति/अनुमोदन लेनी होगी।

(iv) आवेदक इलेक्ट्रिक लाइन या विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करने के लिए लागू होने वाले शुल्क को दे देता है।

(5) यदि आवेदक द्वारा उप–विनियमन (4) में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया जाता है, तो लाइसेंसधारी विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करेगा।

(6) उपभोक्ता के परिसर में मीटर या सेवा लाइन के स्थानांतरण के मामले में, विनियमन 25 में निर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी।

25. उपभोक्ता के परिसर में मीटर या सेवा लाइन के स्थानांतरण की प्रक्रिया:–

(1) उपभोक्ता मौजूदा परिसर के भीतर या अपनी संपत्ति के भीतर मौजूदा सर्विस लाइन के विचलन या मीटर को बदलने के लिए लाइसेंसधारी से आवेदन करेगा।

(2) लाइसेंसधारी साइट निरीक्षण आयोजित करेगा।

(3) एक ही परिसर में मीटर और सेवा लाइन के स्थानांतरण के शुल्क आयोग के आदेशों में अधिसूचित अनुसार होंगे।

(4) अगर स्थानांतरण के लिए नई सेवा लाइन की आवश्यकता होती है, तो लाइसेंसधारी सेवा लाइन सह विकास शुल्क लगाने का हकदार होगा

(5) व्यय के भुगतान की तिथि से कार्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय सारिणी को देखा जाएगा: –

क्र. सं.	उद्देश्य	समय सारणी
(i)	मीटर का स्थानांतरण	7 (सात) दिन
(ii)	एलटी सर्विस लाइन का स्थानांतरण	30 (तीस) दिन
(iii)	एचटी सर्विस लाइन का स्थानांतरण	45 (पैंतालीस) दिन

और बशर्ते कि एलटी और एचटी लाइनों के स्थानांतरण के लिए उपरोक्त सारणी की गणना समय–समय पर सड़क काटने की अनुमति, यदि कोई हो जैसे कार्यों के लिए वैधानिक मंजूरी/अनुमति प्राप्त करने में लगने वाले समय को हटा कर की जाएगी।

R. S. SAM...
Dy. Director
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

Scanned with CamScanner

BYPL Reply
152 २७

BYPL

sr no.	VENDOR NAME
1	AISHWARYA ENGINEERS ASSOCIATES
2	AMBUJA CONSTRUCTION COMPANY
3	CHEENA & CO.
4	J.K.GUPTA & CO.
5	JMV Electricals
6	MAGLANI ELECTRICALS
7	MANJEET ELECTRIC WORKS
8	MK POWERTECH PRIVATE LIMITED
9	NEW DELHI TRADERS
10	PARAS ELECTROMECH
11	PARIHAR ELECTRIC CO.
12	PEE KAY ELECTRIC WORKS
13	SANJAY POWER PROJECTS PVT. LTD.
14	SHREE VIDYUT ENTERPRISES
15	SIDH VINAYAK ELECTRICALS
16	UNIQUE ELECTRICALS
17	V.K. POWERCON PRIVATE LIMITED
18	VIJAY ELECTRIC CORPORATION
19	SUPER ELECTRICAL
20	SHREEJI ENTERPRISES
21	VKM ENTERPRISES
22	KANSAL TRADERS
23	Pan Electricals Pvt. Ltd
24	VIJAY REFRIGERATIONS
25	VIKAS ELECTRIC TRADERS
26	THE IMPERIAL ELECTRIC COMPANY
27	K.P TRADERS
28	Saras Power Projects Co. Pvt Ltd
29	SPARK UTILITY SERVICES PVT. LTD.
30	D K ELECTRICALS
31	ARHANT CONSTRUCTION CO.
32	DHARIWAL ENTERPRISES
33	TWIN STAR ENGINEERING PVT LTD
34	ELECON POWER INFRASTRUCTURE PRIVATE
35	MITHILA & MITHILA ENTERPRISES
36	SHRI BALAJI TRADERS AND ELECTRICALS
37	GEETANJALI ELECTRICALS
38	PARADISE POWER PROJECTS
39	Durga Engineers
40	ALKA ENTERPRISES
41	DIWAN ELECTRICALS
42	K.K. ELECTRICALS
43	SIWAN INFRATECH
44	SHREE TECH ENTERPRISES
45	TATHASTU TECHNOSYTEMS
46	DSY services India Pvt limited

R. S. SAMRIA
Dy. Director
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

Scanned with CamScanner

47	A.S. ENTERPRISES
48	SAI DEVA ELECTRICALS
49	Competent Vidyut Towers (P) Ltd.
50	TECH MAX ENGINEERS PRIVATE LIMITED

BRPL Reply
152 'ग'

BRPL

Reply for Question No 152(C) –

Name of private agency/agencies contracted for replacement of electricity meters –

S. No.	Meter Replacement Vendors
1	M/s. Buddham Builders
2	M/s. Shri Gurunanak
3	M/s. Indiacare
4	M/s. Quess Corp
5	M/s. Sandeep Associates
6	M/s. SUGS LLYOD

TPDDL

152 'ग'

VENDORS WITH METERING GROUP

1. M/s Empire Enterprises
2. M/s G V Electricals
3. M/s H S Power
4. M/s Imperial
5. M/s Surya Construction Company
6. M/s Shyam Indus Power Solutions
7. M/s Mithila & Mithila Enterprises
8. M/s Gaurav
9. M/s D&B Projects

R. S. SAMRIA
Dy. Director
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

Scanned with CamScanner

135. बिजली की चोरी—[1][(1) जो कोई बेइमानी से,—

(क) यथास्थिति, किसी अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता की शिरोपरि, भूमिगत या जल के अंदर की लाइनों या केबिलों या सर्विस तारों या सर्विस सुविधाओं से कोई टैप करेगा, कनेक्शन करेगा या करवाएगा; या

(ख) मीटर से छेड़छाड़ करेगा, बिगाड़े गए मीटर, धारा प्रत्यावर्ती ट्रांसफार्मर, लूप कनेक्शन या किसी अन्य युक्ति या पद्धति को संस्थापित करेगा या उसका उपयोग करेगा, जिससे विद्युत धारा के ठीक-ठीक या उचित रजिस्ट्रीकरण, अंशांकन या मापने में बाधा पड़ती है या उसका किसी रीति से अन्यथा परिणाम निकलता है, जिससे विद्युत की चोरी होती है या विद्युत बर्बाद होती है; या

(ग) किसी विद्युत मीटर, साधित्र, उपस्कर या तार को नुकसान पहुंचाएगा या उसे नष्ट करेगा अथवा उनमें से किसी को इस प्रकार नुकसान पहुंचवाएगा या नाश करवाएगा या होने देगा, जिससे कि विद्युत के उचित या ठीक-ठीक मापने में बाधा पड़ती है; या

(घ) बिगाड़े गए मीटर के माध्यम से विद्युत का उपयोग करेगा; या

(ङ) उन प्रयोजनों से, जिनके लिए विद्युत का उपयोग प्राधिकृत किया गया था, भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए विद्युत का उपयोग करेगा,

जिससे कि विद्युत खिंचती है या उसका उपभोग होता है या उपयोग होता है तो वह, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा :

परंतु जहां खींचा गया, उपभोग किया गया, उपयोग किया गया विद्युत भार या खींचे जाने, उपभोग किए जाने, उपयोग किए जाने के लिए, किए गए प्रयास से विद्युत भार—

(i) 10 किलोवाट से अधिक नहीं होता है, वहां प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना, विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के तीन गुना से कम नहीं होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, अधिरोपित जुर्माना, विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के छह गुना से कम नहीं होगा;

(ii) 10 किलोवाट से अधिक नहीं होता है, वहां प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना, विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के तीन गुना से कम नहीं होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दंडादेश ऐसे, कारावास का, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं हो सकेगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और जुर्माने का होगा, जो विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ के छह गुना से कम नहीं होगा :

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति की द्वितीय और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, जहां 10 किलोवाट से अधिक का भार, खींचा, उपभोग या उपयोग किया गया है या खींचने का या उपभोग का या उपयोग का प्रयत्न किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी अवधि के लिए, जो तीन मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, विद्युत के किसी प्रदाय को प्राप्त करने से भी विवर्जित किया जाएगा और वह किसी अन्य स्रोत या उत्पादन केंद्र से उस अवधि के लिए विद्युत प्रदाय प्राप्त करने से भी विवर्जित होगा :

परंतु यह भी कि यदि यह साबित हो जाता है कि उपभोक्ता के पास ऐसे कृत्रिम साधन या साधन, यथास्थिति, बोर्ड या अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता द्वारा प्राधिकृत न किए गए साधन विद्युत के खींचने, उपभोग या उपयोग के लिए विद्यमान हैं तो जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि, विद्युत का खींचना, उपभोग या उपयोग ऐसे उपभोक्ता द्वारा बेईमानीपूर्वक किया गया है ।

(1क) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता, विद्युत की ऐसी चोरी के पता चलने पर विद्युत के प्रदाय को तुरंत रोक सकेगा :

परंतु समुचित आयोग द्वारा, इस प्रयोजन के लिए यथा प्राधिकृत, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का केवल ऐसा अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत पंक्ति से उच्चतर पंक्ति का, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का कोई अन्य प्राधिकारी ही विद्युत के प्रदाय की लाइन को काटेगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का ऐसा अधिकारी, ऐसे काटे जाने के समय से, चौबीस घंटे के भीतर अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में ऐसे अपराध को किए जाने के संबंध में लिखित रूप में एक शिकायत दाखिल करेगा :

परंतु यह भी कि, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्धारित रकम या विद्युत प्रभारों को जमा करने या उसका संदाय करने पर, इस खंड के दूसरे परंतुक में यथा निर्दिष्ट शिकायत को दाखिल करने की बाध्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जमा या संदाय के अड़तालीस घंटे के भीतर विद्युत की प्रदाय लाइन को प्रत्यावर्तित करेगा ।]

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 26 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

B. S. SANDIA
Dy. Director
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

Scanned with CamScanner

(2) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त [1][यथास्थिति, प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का कोई अधिकारी—]

(क) ऐसे किसी स्थान या परिसर में, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग [2][किया गया है, किया जा रहा है] प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा, तोड़कर खोल सकेगा, या तलाशी ले सकेगा; या

(ख) ऐसी सभी युक्तियों, यंत्रों, तारों और किसी अन्य सुकारक या वस्तु की जो विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग के लिए प्रयोग [1][की गई है, की जा रही है] तलाशी ले सकेगा, उसका अभिग्रहण कर सकेगा और उसे हटा सकेगा;

(ग) ऐसी लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा या उन्हें अभिगृहीत कर सकेगा जो उसकी राय में उपधारा (1) के अधीन अपराध की बाबत किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होगी और ऐसे व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा से ऐसी लेखा पुस्तकें या दस्तावेज अभिगृहीत किए गए हैं, अपनी उपस्थिति में उनकी प्रतियां बनाने या उनसे उद्धरण लेने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(3) तलाशी के स्थान का अधिभोगी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति, तलाशी के दौरान उपस्थित रहेगा और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सभी वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाएगी और ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी जो सूची पर हस्ताक्षर करेगा :

परन्तु यह कि किन्हीं घरेलू स्थानों या घरेलू परिसरों का निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे परिसर पर कोई अधिभोगी वयस्क पुरुष उपस्थित न हो।

(4) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध यथासंभव, इस अधिनियम के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

136. विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी—(1) जो कोई बेईमानी से—

(क) किसी टावर, पोल, किसी अन्य संस्थापन या संस्थापन के स्थान या किसी अन्य स्थान या स्थल, जहां वह अधिकारपूर्वक या विधिपूर्वक भंडारित किया गया, जमा किया गया, रखा गया, स्टाक किया गया, स्थित या अवस्थित हो, जिसके अंतर्गत परिवहन के दौरान अवस्थित करना भी है, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन, सामग्री या मीटर काटेगा या हटाएगा, या ले जाएगा या अन्तरित करेगा चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं; या

(ख) किसी विद्युत लाइन, सामग्री या मीटर को स्वामी की सहमति के बिना भंडारित करेगा, कब्जे में रखेगा या अन्यथा अपने परिसर में, अभिरक्षा में या नियंत्रण में रखेगा, चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं; या

(ग) किसी विद्युत लाइन, सामग्री या मीटर को स्वामी की सहमति के बिना लादेगा, ले जाएगा, या एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाएगा, चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं,

विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध किया गया कहा जाएगा और वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसे, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, उस उपधारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का पुन:दोषी है, तो वह दूसरे और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा।

137. चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दंड—जो कोई, किसी चुराई गई विद्युत लाइन या सामग्री को यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई गई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

138. अनुज्ञप्तिधारी के मीटरों या संकर्मों से छेड़छाड़—(1) जो कोई—

(क) किसी मीटर, सूचक या साधित्र को किसी ऐसी विद्युत लाइन से जिसके माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय की जाती है, अप्राधिकृत रूप से संयोजित करेगा या उसे ऐसी विद्युत लाइन से वियोजित करेगा; या

(ख) किसी मीटर, सूचक या साधित्र को, किसी ऐसी विद्युत लाइन या अन्य संकर्म से, जो किसी अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति है, उस समय अप्राधिकृत रूप से पुन: संयोजित करेगा जब उक्त विद्युत लाइन या अन्य संकर्म काट दिया गया है या वियोजित कर दिया गया है; या

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 26 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 57 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

R. S. SAMRIA
Dy. Director
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

Scanned with CamScanner

152 | द्वा | ~~........~~ (62)...

(4) भुगतान के प्राप्त होने पर लाइसेंसधारी इस पर अन्तिम बिलों मोहर वाली रसीद जारी करेगा। यह रसीद 'नो ड्यूज प्रमाणपत्र' समझी जाएगी। परंतु यह भुगतान निर्धारित तिथि में आनलाइन किया जाता है, लाइसेंसधारी उपभोक्ता को आनलाइन 'नो ड्यूज प्रमाणपत्र' जारी करेगा।

(5) यदि भुगतान निर्धारित तारीख में नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता को केवल लाइसेंसधारी के काउन्टर पर विलम्बित अदायगी अधिकार, यदि कोई हो, के साथ अदायगी करनी अपेक्षित होगी।

(6) यदि उपभोक्ता को लाइसेंसधारी द्वारा राशि लौटायी जानी है तो लाइसेंसधारी अन्तिम बिल के साथ नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करेगा तथा डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक निकासी प्रणाली के माध्यम से 15 दिन के भीतर ऐसे डिस्कनेक्शन की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज सहित शेष प्रतिभूति जमा राशि लौटाएगा।

(7) अतः लाइसेंसधारी को बिलिंग की इस तारीख से पूर्व की किसी अवधि के लिए कोई प्रभार उगाहने का कोई अधिकार नहीं होगा।

54. रिकनेक्शनः–

(1) किसी अस्थाई डिस्कनेक्शन के मामले में, लाइसेंसधारी विगत ड्यूज तथा प्रयोज्य प्रभार, यदि कोई हो तथा अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने की अदायगी के 24 घण्टे के भीतर उपभोक्ता संस्थापना को विद्युत आपूर्ति बहाल करेगाः–

परन्तु लाइसेंसधारी डिस्कनेक्शन नोटिस में उपभोक्ता को फिर से कनेक्शन के लिए सभी लागू प्रभारों को सूचित करेगा।

इससे आगे यह भी शर्त है कि यदि कोई उपभोक्ता देश से बाहर चला जाता है और विलेखीकृत साक्ष्य उपलब्ध कराता है, लाइसेंसधारी रिकनेक्शन प्रभार नहीं लगाएगा।

(2) कनेक्शन के स्थाई रूप से कट जाने पर पुनः कनेक्शन के लिए पिछला बकाया तथा लागू शुल्क अदा करना होगा; यदि आवश्यक हो तो तथा नए कनेक्शन के लिए सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा।

(3) या तो गलती से या बिना किसी नोटिस के लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति के डिस्कनेक्शन के मामले में आपूर्ति का रिकनेक्शन बिना किसी प्रभार के लगाए, जिसमें रिकनेक्शन प्रवाह भी शामिल है ऐसे डिस्कनेक्शन के समय से 24 घण्टे में लगाया जाएगा।

अध्याय – VII
अप्राधिकृत उपयोग, चोरी तथा अन्य अनियमितताएं

55. सामान्यः–

(1) लाइसेंसधारी इस अधिनियम के भाग 12, 14 15 विनियमों तथा आयोग के आदेशों की प्रविधि में निर्धारित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में उपभोक्ता द्वारा वचनबद्ध विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग, चोरी तथा अन्य अनियमिताओं के खिलाफ कार्यवाहियां प्रारंभ करेगा।

(2) लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत निर्धारण अधिकारियों की सूची, इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारियों तथा इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1ए) के अंतर्गत आपूर्ति डिस्कनेक्ट करने के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा तथा अपने स्थानीय कार्यालयों में प्रमुख स्थलों पर ऐसी सूची लगाएगा।

(3) लाइसेंसधारी सभी निर्धारण अधिकारियों तथा प्राधिकृत अधिकारियों को विशिष्ट रूप से उनका पदनाम तथा उनके प्राधिकार का विवरण दर्शाते हुए उन्हें फोटो पहचान पत्र जारी करेगा।

(4) परिसरों के निरीक्षण के दौरान, सभी मामलों में, निर्धारण अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी जैसा भी मामला हो, परिसरों का निरीक्षण कार्य सम्पन्न होने तक सम्पूर्ण कार्यवाहियों का वीडियोग्राफ बनाएगाः

बशर्ते वीडियोग्राफ में उपभोक्ता फोटो विजिटिंग कार्ड, निरीक्षण रिपोर्ट के हस्ताक्षर, कुर्की ज्ञापन आदि पर हस्ताक्षर की उपभोक्ता द्वारा स्वीकारोक्तियां इन्कार शामिल होगा।

(5) लाइसेंसधारी इस अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 के अंतर्गत बुक किए गए सभी मामलों का रखरखाव तथा रिकोर्ड मासिक आधार पर आयोग को प्रस्तुत करेगा।

R. S. KAMRIA
Dy. Director
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

Scanned with CamScanner

(6) यदि कोई उपभोक्ता अप्राधिकृत उपयोग में तथा विद्युत की चोरी में लिप्त हुआ पाया जाता है तो उपभोक्ता को विद्युत की चोरी में बुक किया जाएगा।

(7) यदि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग अन्तिम रूप से संस्थापित किया जाता है तो, लाइसेंस जारी निरीक्षण की तारीख से उपभोक्ता की आपूर्ति की श्रेणी बदलेगा तथा सामान्य प्रयोजन शुल्क के अनुसार बिल दिया जाएगा।

अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग

56 **निर्धारण अधिकारी द्वारा परिसरों तथा विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण:–**

(1) निर्धारण अधिकारी या तो स्व प्रेरणा से या विद्युत की अप्राधिकृत उपयोग से संबंधित सूचना की प्राप्ति पर किन्हीं परिसरों का शीघ्र ही निरीक्षण करेगा:–

परन्तु निर्धारण अधिकारी निरीक्षण करने के लिए लाइसेंसधारी के कर्मचारियों की सहायता प्राप्त कर सकता है।

(2) निर्धारण अधिकारी विनियमन 55(3) के अन्तागर्त जारी फोटो आईकार्ड तथा अपने फोटो वाला विजिटिंग कार्ड साथ ले जाएगा।

(3) फोटो आईकार्ड दिखाया जाएगा तथा अपने फोटो वाला विजिटिंग कार्ड परिसरों में प्रविष्टि से पूर्व उपभोक्ता को सौंपा जाएगा।

(4) निर्धारण अधिकारी इन विनियमों के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण/साइट रिपोर्ट तैयार करेगा।

(5) विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का कोई मामला निम्नलिखित मामलों में लाइसेंसधारी द्वारा बुक नहीं किया जाएगा:–

(i) जहां उपभोक्ता उच्चतर शुल्क श्रेणी के लिए विद्युत प्रभार अदा करता रहा है परंतु कमतर शुल्क श्रेणी के लिए विद्युत का उपयोग किया है।

(ii) जहां उपभोक्ता शुल्क की समान श्रेणी के भीतर स्वीकृत भार या संविदा मांग, जैसा भी मामला हो, से अधिक विद्युत का उपयोग कर रहा है, तथा

(iii) जहां आपूर्ति की श्रेणी में स्वप्रेरणा से परिर्वतन लाइसेंसधारी पर निर्भर होगा।

57. **निर्धारण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की तैयारी:–**

(1) विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का पता लगाने के संबंध में मूल्यांकनकर्ता अधिकारी आयोग के आदेशों में यथानिर्धारित तरीके से स्थल पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।

(2) छेड़छाड़ किए गए मीटर आदि जैसे सभी सामग्री साक्ष्यों तथा प्रलेखीकृत साक्ष्य, जो निरीक्षण के दौरान पाए गए मामले के संगत हों, कुर्की ज्ञापन के अन्तगर्त जब्त किए जाएंगे तथा उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में सील किए जाएंगे तथा परिसरों की फोटो ग्राफी और वीडियोग्राफी की रिकार्डिंग के साथ एक सबूत के तौर पर रखा जाएगा।

(3) कुर्की के गवाहों के नाम व पते तथा तारीख, समय और स्थान सहित कुर्क सामग्री का विस्तृत ब्योरा कवर के बाहर रिकार्ड किया जाएगा तथा समस्त गवाहों के हस्ताक्षर सीलिंग प्वाइन्टों पर लगाए जाएंगे:–

परन्तु यदि गवाह ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया हो तो इसे रिपोर्ट में रिकार्ड किया जाएगा तथा वीडियोग्राफ में प्रग्रहित किया जाएगा।

(4) निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की जाएगी तथा इसकी एक प्रति उपयुक्त प्राप्ति के तहत तुरन्त स्थल पर ही उपभोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को सौंपा जाएगा। स्थल पर मौजूद अन्य व्यक्ति भी निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे।

(5) यदि स्थल पर उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि रिपोर्ट की प्रति की प्राप्ति रसीद देने से तथा स्वीकार करने से मना करता है तो रिपोर्ट की प्रति किसी सुस्पष्ट स्थल पर या परिसरों के बाहर चिपकाया जाएगा तथा फोटोग्राफ और

Dy. Dir... Power
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

Scanned with CamScanner

रिकार्ड किया गया वीडियो लिया जाएगा। इस रिपोर्ट की दूसरी प्रति निरीक्षण के दिन या उसके अगले दिन इलेक्ट्रानिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के तहत उपभोक्ता को भेजी जाएगी।

(6) निरीक्षण रिपोर्ट विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आगामी कार्रवाई के आधार पर बनाई जाएगी।

58. **विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग के मामले से निपटने की प्रविधि (यूयूई):–**

(1) **अनन्तिम मूल्यांकन तथा नोटिसः–**

यदि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर तथा अन्य सामग्रियों के आधार पर निर्धारण अधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि यह विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग के मामले में प्रथम दृष्टया मामला है, वहः–

(i) अपने विवेक के आधार पर अनन्तिम मूल्यांकन करेगा जो दी गई परिस्थितियों में पर्याप्त है तथा सभी उपलब्ध साक्ष्य और रिकार्डों पर आधारित है। ऐसा करते हुए निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम की धारा 126 की उप धारा (6) के साथ पठित उपधारा (5) में निर्धारित प्रावधान के अनुसार विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग द्वारा लाभप्राप्त व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि की गणना की जाएगी।

बशर्ते यदि विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग की अवधि निष्कर्षतः संस्थापित की जा सकती है, मूल्यांकन पूरी अवधि का किया जाएगा जिसमें अप्राधिकृत उपयोग किया गया है तथा यदि ऐसे अप्राधिकृत उपयोग की अवधि का पता नहीं है या निष्कर्षतः संस्थापित नहीं की जा सकती तो मूल्यांकन की अवधि निरीक्षण की तारीख से पूर्व के 12 माहों तक सीमित किया जाएगाः–

परन्तु विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग की अवधि निम्नलिखित कारकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

(क) निरीक्षण की तारीख से आपूर्ति की शुरुआत की तारीख से वास्तविक अवधि,

(ख) मीटरिंग प्रणाली के घटक के प्रतिस्थापन की तारीख से वास्तविक अवधि जिसमें साक्ष्य का निरीक्षण की तारीख से पता लगाया जाता है,

(ग) निरीक्षण की तारीख को निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्थापना की पूर्ववर्ती जांच करने की तारीख से वास्तविक अवधि,

(घ) ऊर्जा मीटर मैमोरी में रिकार्ड किए गए साक्ष्य, जहां कहीं उपलब्ध हों।

(ङ) आरोपी व्यक्ति द्वारा विश्वास किए जाने वाले दस्तावेज पर आधारित

(ii) निरीक्षण की तारीख अथवा मीटर जांच करने की रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, यदि आवश्यक हो, निरीक्षण की वीडियोग्राफी तथा अनन्तिम मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ उपभोक्ता का एक नोटिस सर्व करें, कारण देते हुए जिसके लिए विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का कोई मामला उसके खिलाफ शुरु किया जा रहा है। नोटिस में समय, तारीख तथा स्थान स्पष्ट गोचर दोनों चाहिए, जिस पर उत्तर दिया जाना है तथा उस व्यक्ति का पदनाम भी दिया जाना चाहिए।

(2) **अनन्तिम मूल्यांकन के साथ नोटिस के खिलाफ आपत्ति**

उपभोक्ता जिसे मूल्यांकन के अनन्तिम बिल के साथ नोटिस किया गया है, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर, मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष आपत्तियां, यदि कोई हों, दर्ज करा सकता है।

(3) **व्यक्तिगत सुनवाई :–**

(i) निर्धारण अधिकारी उपभोक्ता की आपत्तियों के दर्ज होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर उपभोक्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ व्यक्तिगत सुनवाई का प्रबंध करेगा।

(ii) उपभोक्ता के अनुरोध पर, भावी तिथि पर सुनवाई का प्रबंध किया जा सकता है परन्तु उपभोक्ता द्वारा आपत्तियां दर्ज करने की तिथि से 10 दिनों के बाद नहीं।

R. S. ... Dy. Director (Power)
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

Scanned with CamScanner

(4) अन्तिम मूल्यांकन आदेश:–

(i) निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य विद्युत प्रभारों के अनन्तिम मूल्यांकन के आदेश की सेवा की तारीख से 30(तीस) दिनों के भीतर अन्तिम मूल्यांकन आदेश पारित करेगा,

(ii) मूल्यांकन का अन्तिम आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाएगा कि विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का मामला संस्थापित है या नहीं। ऐसे आदेश में मौखिक या लिखित निरीक्षण रिपोर्ट, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुतियों तथा उसके स्वीकार अथवा अस्वीकार के कारणों के सार को रखा जाएगा।

(iii) यदि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग संस्थापित नहीं किया जाता है, मूल्यांकन कर्ता अधिकारी इस मामले को तुरन्त छोड़ कर मूल्यांकन आदेश पास करेगा तथा आगामी उच्च अधिकारी को एक प्रति भेजते हुए उपभोक्ता को अवगत कराया जाएगा।

(iv) यदि विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का मामला पाया जाता है, निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (5) में निहित प्रावधानों के अनुसार विद्युत प्रभारी का मूल्यांकन करेगा तथा अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तिम मूल्यांकन आदेश पारित करेगा।

(v) अन्तिम आदेश में ऊर्जा का मूल्यांकन विनियमों के परिशिष्ट–1 में निर्धारित फार्मूले के अनुसार किया जाएगा:–

परन्तु यदि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग शुल्क श्रेणी के गलत उपयोग या जिसके लिए विद्युत की आपूर्ति प्राधिकृत की गई थी, उसके बजाए परिसरों या क्षेत्रों के लिए किया गया है, तो निर्धारण अधिकारी मूल्यांकन अवधि के लिए मीटर में रिकार्ड के अनुसार ऊर्जा का मूल्यांकन करेगा।

(vi) मूल्यांकन बिल बनाते समय, लाइसेंसधारी मूल्यांकन बिल की अवधि हेतु उपभोक्ता द्वारा पहले से दी गई राशि के लिए उपभोक्ता को श्रेय देगा।

(vii) अन्तिम मूल्यांकन आदेश स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि यह आदेश इस अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार उक्त आदेश को सर्व करने के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (नाम, पदनाम तथा पते का उल्लेख किया जाए) के समक्ष उपभोक्ता द्वारा अपील की जा सकती है।

(5) **अन्तिम मूल्यांकन आदेश पर आधारित बिलिंग और भुगतान**

(i) लाइसेंसधारी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जारी अन्तिम मूल्यांकन आदेश के अनुसार विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग के प्रभारों के लिए उपभोक्ता को बिल भेजेगा।

(ii) यह बिल सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा देय होगा। लाइसेंसधारी मूल्यांकित राशि के भुगतान की अन्तिम तारीख को बढ़ा सकता है या प्रत्येक 6 माह में प्रति वर्ष चक्रवृद्धि 16% की दर पर 30 दिन से अधिक बढ़ी हुई अवधि के लिए भुगतान की गई राशि पर ब्याज के भुगतान के अध्ययीन किस्तों में भुगतान की अनुमति दे सकता है।

(iii) उपभोक्ता बिल स्वीकार करेगा तथा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन की गई राशि जमा करेगा तथा उप विनियमन (5) (2) के अनुसार अथवा अधिनियम तथा विनियमों के अनुसरण में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इसके खिलाफ अपील कर सकता है।

59. **इस अधिनियम की धारा 127 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील**

(1) यदि उपभोक्ता निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी अन्तिम मूल्यांकन आदेश से असंतुष्ट हो तो वह इस अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (2) के तहत यथाविनिर्दिष्ट मूल्यांकित राशि की आधी राशि जमा करने के बाद ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के लिए आयोग के आदेशों में यथाविनिर्दिष्ट रूप तथा तरीके से इस अधिनियम की धारा 127 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दर्ज करा सकता है

बशर्ते यदि यह राशि पक्षों की सहमति से पारित हो जाती है तो निर्धारण अधिकारी के अन्तिम मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी को कोई अपील नहीं की जाएगी।

R. S. [illegible]
Dy. Director
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

Scanned with CamScanner

(2) अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर तथा पक्षों की सुनवाई के उपरान्त उचित स्पीकिंग आदेश पास करेगा तथा निर्धारण अधिकारी और अपीलकर्ता को आदेश की एक प्रति भेजेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पास आदेश अन्तिम होगा।

(4) यदि अपीलीय प्राधिकारी समझता है कि विद्युत का अनाधिकृत उपयोग का कोई मामला नहीं बनता है तो आगे कोई कार्रवाई शुरु नहीं की जाएगी अथवा इस संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा कोई कार्रवाई जारी नहीं रखी जाएगी तथा अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि, लौटाए जाने तक 16 प्रतिशत की दर पर प्रत्येक 6 माह में जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज सहित लौटाई जाएगी।

(5) यदि अपीलकर्ता प्राधिकारी समझता है कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग का कोई मामला बनता है, तो लाइसेंसधारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी अन्तिम आदेश के अनुसार विद्युत के अनधिकृत उपयोग के प्रभार के लिए उपभोक्ता को संशोधित बिल भेजेगा।

(6) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी अन्तिम आदेश पर आधारित तैयार बिल, सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा भुगतान करना होगा। लाइसेंसधारी मूल्यांकित राशि के भुगतान की अन्तिम तारीख को बढ़ा सकता है या इस अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (6) के अनुसार प्रत्येक 6 माह में जोडे गए प्रतिवार्षिक 16 प्रतिशत ब्याज दर पर 30 दिनों से अधिक की बढ़ी हुई अवधि के लिए अदेय राशि पर ब्याज के भुगतान के अध्ययीन किस्तों में भुगतान की अनुमति दे सकता है।

(7) यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित देय राशि अपील दर्ज करने के समय पर उपभोक्ता द्वारा पहले जमा राशि से कम है, अधिक राशि लाइसेंसधारी द्वारा तीस दिनों के भीतर लौटाई जाएगी;

परन्तु यदि लाइसेंसधारी द्वारा लौटाई जाने वाली राशि में विलम्ब किया जाता है तो उस विलम्ब समय के लिए, उपभोक्ता को 16 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 6 माह में जोडे गए चक्रवृद्धि ब्याज सहित लौटाई जाएगी।

अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत की चोरी

60. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परिसरों तथा विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण:

(1) प्राधिकृत अधिकारी या तो विद्युत की चोरी के संबंध में स्वप्रेरणा से या सूचना की प्राप्ति पर किन्हीं परिसरों का शीघ्रातिशीघ्र निरीक्षण करेगा।

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी निरीक्षण आयोजित करने के लिए लाइसेंसधारी के कर्मचारियों को सहायता उपलब्ध करा सकता है।

(2) प्राधिकृत अधिकारी विनियम, 55(3) के अन्तर्गत जारी अपना फोटो तथा फोटो पहचान पत्र वाला विजिटिंग कार्ड साथ रखेगा।

(3) फोटो आईडी दिखाना होगा तथा अपने फोटो वाला विजिटिंग कार्ड उपभोक्ता अथवा परिसरों में प्रवेश से पूर्व परिसर के स्वामी को सौंपना होगा।

(4) अप्राधिकृत अधिकारी इन विनियमों के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा।

61. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की तैयारी:–

(1) विद्युत की चोरी का पता लगाने के लिए, प्राधिकृत अधिकारी आयोग के आदेशों में यथानिर्धारित तरीके से स्थल पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।

(2) छेड़छाड़ किए गए मीटर जैसे सभी सामग्री वाले साक्ष्य, टेम्पर्ड मीटर सील तथा ऊर्जा के अवैध पृथक्करण के लिए प्रयुक्त कृत्रिम साधन और प्रलेखीकृत साक्ष्य आदि जो मामले के प्रासंगिक हैं तथा निरीक्षण के दौरान पाए गए है, कुर्की ज्ञापन के तहत कुर्क किया जाएगा तथा उपभोक्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थितियों में सील किया जाएगा तथा परिसरों की फोटो ग्राफी और वीडियोरिकार्डिंग के साथ सबूत के रूप में रखा जाएगा।

R. S. [illegible]
Dy. Director
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

Scanned with CamScanner

(3) कुर्की के गवाहों के नाम तथा पते और कुर्की की तारीख समय व स्थान सहित जब्त सामग्री का विस्तृत ब्योरा कवर के बाहर रिकार्ड किया जाएगा तथा सभी गवाहों के हस्ताक्षर सीलिंग प्वाइन्टों पर चिपकाए जाएंगे:–

परन्तु यदि गवाह हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है तो इसे रिपोर्ट में रिकार्ड किया जाएगा तथा वीडियोग्राफी में प्रग्रहित किया जाएगा।

(4) निरीक्षण रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की जाएगी तथा दूसरी उचित रसीद की प्राप्ति के तहत तुरन्त स्थल पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को सौंपी जाएगी। स्थल पर मौजूद अन्य व्यक्ति भी निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

(5) यदि स्थल पर उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि रिपोर्ट की प्रति की प्राप्ति देने या उसे स्वीकार करने से इंकार करता है तो रिपोर्ट की प्रति परिसरों के अन्दर या बाहर सुस्पष्ट स्थान पर चिपकाई जाएगी तथा उसका फोटो या रिकार्ड की गई वीडियो रखी जाएगी।

(6) निरीक्षण रिपोर्ट विनियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार आगे कार्रवाई का आधार बनेगी।

62. विद्युत की चोरी के अभियोग की प्रविधि

(1) इस अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत की चोरी का मुद्दा या केवल उन मामलों में शुरु किया जाएगा जहां बेईमानी का इरादा प्रासंगिक तथ्यों, रिकार्डों और मामले के अन्य साक्ष्य सुस्पष्ट हैं।

(2) यदि विद्युत चोरी करने के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (2) के अंतर्गत एक कुर्की ज्ञापन के अन्तर्गत परिसरों से तारों/केबल्स, मीटर, सर्विस लाइन, आदि सहित सभी सामग्री साक्ष्य जब्त तथा सील करेगा।

(3) उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा(1)(ए) के अंतर्गत तथा चोरी का पता लगते ही तुरन्त आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए यथाप्राधिकृत लाईसेंसधारी ऐसे अधिकारी आपूर्ति कर्ता द्वारा काट दी जाएगी। बशर्ते कि ऐसा अधिकारी ऐसे डिस्कनेक्शन के समय से 24 घण्टे के भीतर इस अपराध के होने के स्थल के कार्यक्षेत्र में आने वाले पुलिस थाने में लिखित में शिकायत करें:

इसके अलावा यह भी है कि ऐसा अधिकारी ऐसे डिस्कनेक्शन के 2 दिनों के भीतर निरीक्षण की वीडियोग्राफी की प्रति के साथ विनियम 64 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की प्रति, स्पीकिंग आदेश की प्रति भी उपभोक्ता को भेजेगा।

(4) केवल मीटर पर लगी सीलों के गुम होने या मीटर की ग्लास विंडो टूटने पर चोरी का कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक बेईमानी का इरादा उपभोक्ता के उपभोग के तरीके या अन्य किसी साक्ष्य द्वारा सम्पुष्टि नहीं की जाती है।

(5) उपभोक्ता या उसके कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाले अन्य किसी व्यक्ति द्वारा रिमोट कन्ट्रोल, हाईवाल्टेज इन्जेक्शन सहित बाह्य तरीकों के सहारे से उपभोग की गई ऊर्जा के सही रजिस्ट्रेशन में बाधा डालना भी विद्युत की चोरी मानी जाएगी, जिसे इस आयोग द्वारा अधिसूचित प्रत्यायित प्रयोगशाला में या आयोग द्वारा प्राधिकृत एजेंसी में मीटर द्वारा लिए गए डेटा के विश्लेषण तथा मीटर की जांच के तहत संस्थापित किया जा सकता है।

63. विद्युत की चोरी का मूल्यांकन बिल

(1) निर्धारण अधिकारी विनियमों के परिशिष्ट 1 में यथा अधिसूचित विद्युत की चोरी की ऊर्जा का मूल्यांकन करेगा।

(2) चोरी की गई विद्युत के मूल्यांकन की अवधि विद्युत की चोरी का पता लगने की तारीख या चोरी की सही अवधि पता लग जाता तो जो भी पहले हो, से पूर्व के 12 माहों की अवधि होगी:–
बशर्ते कि विद्युत की चोरी की अवधि का निम्नलिखित घटकों पर आधारित मूल्यांकन किया जाए:–

(i) आपूर्ति के प्रारंभ होने की तारीख से निरीक्षण की तारीख तक की वास्तविक अवधि

R. S.
Dy. Director
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

Scanned with CamScanner

(ii) मीटरिंग पद्धति जिसमें साक्ष्य पाया जाता है, के घटक के प्रतिस्थापन की तारीख से निरीक्षण की तारीख तक वास्तविक अवधि होगी

(iii) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संस्थापना की पूर्व जांचों की तारीख से निरीक्षण की अवधि तक वास्तविक अवधि होगी

(iv) ऊर्जा मीटर मैमोरी में रिकार्ड डेटा, जहां कहीं उपलब्ध हों।

(v) आरोपी व्यक्ति द्वारा अवलम्ब दस्तावेज पर आधारित

(3) मूल्यांकन बिल लागू शुल्क के अनुसार दर से दुगुना तैयार किया जाएगा

(4) मूल्यांकन बिल बनाते समय लाइसेंसधारी मूल्यांकन बिल की अवधि के लिए विद्युत की यूनिटों हेतु उपभोक्ता द्वारा पहले से भुगतान को दर्शाएगा

(5) मूल्यांकन आदेश उपभोक्ता को या स्थान या परिसरों के स्थायी या प्रभारी को, जैसा भी मामला हो, आपूर्ति के डिस्कनेक्शन के 7 दिनों के भीतर या ऐसे व्यक्ति के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 2 दिनों के भीतर जो भी पहले हो, भेजे जाएंगे

64. संदिग्ध चोरी:–

(1) ऐसे सभी मामलों जहां निरीक्षण पर चोरी नहीं पाई गई हो परन्तु उपभोग पद्धति के आधार पर आशंका हो प्राधिकृत अधिकारी किसी कुर्की ज्ञापन के तहत पुराने मीटर को हटा सकता है तथा उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में इसे सील कर सकता है जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे तथा एक नए मीटर के साथ उपभोक्ता की विद्युत की आपूर्ति दी जाएगी।

बशर्ते कि विगत 1 वर्ष की उपभोग पद्धति ज्यादातर समान हो तथा मूल्यांकित उपभोग के 75 प्रतिशत से कम न हो, कोई आगामी कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी तथा इस निर्णय से 3दिनों में उपभोक्ता को अवगत कराया जाएगा

परन्तु यदि उपभोग की पद्धति उक्त के अनुसार एक समान हो मौजूदा मीटर आगे जांच के लिए नहीं भेजा जाएगा।

(2) मीटर के विनियम 32 के उप विनियम 8 के अनुसार जांच की जाएगी।

(3) निर्धारण अधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट उपभोग पद्धति मीटर जांच के परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि विद्युत की चोरी का मामला प्रथम दृष्टया है, विनियम 62 और विनियम 63 में यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:–

बशर्ते कि मूल्यांकन अधिकारी मीटर जांच रिपोर्ट के 7दिनों के भीतर विद्युत की चोरी के मामले का सबूत देने वाला कोई स्पीकिंग आदेश पारित करें।

65. इस अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत अपराध का संयोजन

इस अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत अपराध की कम्पाउंडिंग केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अथवा इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (कम्पाउंडिंग अधिकारी) द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

66. विद्युत की चोरी को ध्यान में रखते हुए डिस्कनेक्शन की गई आपूर्ति को फिर से चालू करना

(1) लाइसेंसधारी उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि के 48 घंटे के अन्दर परिसरों में विद्युत की आपूर्ति फिर से चालू करेगा।

(i) विनियम 63 के अनुसरण में मूल्यांकित अथवा

(ii) लोक अदालत सहित किसी अदालत द्वारा राशि जमा की जाने की अनुगति दी गई

(2) यदि मूल्यांकित राशि किसी आवेदन जो मौजूदा उपभोक्ता नहीं है द्वारा जमा की जाती है तो परिसरों को आपूर्ति की जाएगी और इसे नए कनेक्शन के मामले के रूप में माना जाएगा।

R. S. [illegible]
Dy. Director
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

Scanned with CamScanner

(3) विद्युत की आपूर्ति फिर से चालू करना इस अधिनियम की धारा 135 के अनुसार मौजूदा उपभोक्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाहियों को शुरु करने के लिए लाइसेंसधारी का अधिकार बिना किसी पूर्वधारणा के होगा।

67. **छेड़छाड़ किए गए मीटर का स्वैच्छिक प्रकटीकरण**

(1) यदि कोई उपभोक्ता आगे आता है और स्वैच्छिक रूप से मीटर तथा/अथवा सीलों की टेम्परिंग की उद्घोषणा करता है, लाइसेंसधारी तुरन्त एक नए मीटर से छेड़छाड़ किए गए मीटर को बदलेगा:–

परन्तु छेड़छाड़ किए गए मीटर के स्वैच्छिक प्रकटीकरण की उपभोक्ता को केवल एक बार अनुमति दी जाएगी।

(2) निर्धारण अधिकारी विनियमों के परिशिष्ट 1 में यथासूचित विद्युत की चोरी की ऊर्जा का मूल्यांकन करेगा।

(3) मूल्यांकन बिल उद्घोषणा की तारीख से गणना की गई विगत 6माहों की अवधि के लिए लागू शुल्क के अनुसार दर का दुगुना बनाया जाएगा।

(4) मूल्यांकन बिल बनाते समय, लाइसेंसधारी मूल्यांकन बिल की अवधि के लिए उपभोक्ता द्वारा विद्युत की युनिटों के लिए पहले से अदा की गई राशि को उपभोक्ता को क्रेडिट देगा।

(5) छेड़छाड़ किए गए मीटर की उद्घोषणा की तारीख मीटर के प्रतिस्थापन की तारीख तक की अवधि के लिए ऊर्जा बिल खराब मीटरों की प्रविधि के अनुसार परिगणना की जाएगी।

(6) यदि कोई उपभोक्ता स्वैच्छिक रूप से छेड़छाड़ किए गए मीटर की घोषणा करता है तथा मूल्यांकन बिल अदा करता है तो लाइसेंसधारी विशेष अदालत नहीं जाएगा या अन्य कोई कार्रवाई नहीं करेगा। परन्तु यदि उपभोक्ता 30दिनों के भीतर मूल्यांकन बिल का भुगतान करने में विफल रहता है लाइसेंसधारी इसे विनियम 62 के अन्तगर्त चोरी का मामला समझेगा तथा तदानुसार कार्रवाई करेगा।

अध्याय – VIII
शिकायत निवारण प्रक्रिया

68. सामान्यः–

(1) लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत कनेक्शन जारी करना, विद्युत धारा नहीं होना/विद्युत आपूर्ति विफलता, वोल्टेज उतार–चढ़ाव, लोड शेडिंग, निर्धारित कटौतियां, मापन, बिलिंग के साथ संबंधित और अन्य शिकायतें विनियमावली में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निवारित की जाएंगी।

(2) प्रत्येक लाइसेंसधारी "उपभोक्ता शिकायतों के निवारण हेतु पद्धति की नियम–पुस्तिका (मैनुअल)/उपभोक्ता चार्टर/शिकायत चार्टर" जिसको एतद्पश्चात "नियम–पुस्तिका" (मैनुअल) कहा गया है, इन विनियमों के लागू होने की तिथि से तीन माह के भीतर तैयार करना होगा तथा आयोग में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना होगा।

(3) मैनुअल में उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली जानकारी होगी, जिसमें शिकायत दर्ज करवाने हेतु चैनल्स, कार्मिक, कार्यालयों, हेल्पलाइन नम्बरों का विवरण, शिकायत निवारण की प्रक्रिया इत्यादि संबंधी जानकारी सम्मिलित है।

(4) मैनुअल अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में तैयार किया जाएगा तथा उपभोक्ताओं के संदर्भ हेतु प्रत्येक कार्यालय में उपलब्ध होगा और इसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया सकेगा।

(5) लाइसेंसधारी शिकायत दर्ज करवाने के लिए विभिन्न क्रियाविधियां (मोड्स) स्थापित करेगा, जैसेकि कॉल सेन्टर, वेबसाइट, एसएमएस, लाइसेंसधारी का ऐप्लीकेशन सर्वर अथवा अन्य कोई क्रियाविधि (मोड) जो लाइसेंसधारी द्वारा उपयुक्त पाया जाता है अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

69. **शिकायत दर्ज करवाने हेतु प्रक्रियाः–**

(1) उपभोक्ता अथवा आवेदक अपनी शिकायत लाइसेंसधारी के केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर/क्षेत्रीय शिकायत केन्द्र/जिला कायालयों में अथवा टेलीफोन या वेबसाइट या एसएमएस या ऐप्लीकेशन सर्वर पर डाक द्वारा दर्ज करवा सकता है।

R. S. SA[illegible]
Dy. Director
Department of Power
Govt. of N[illegible] of Delhi
Delhi Secr[illegible] New Delhi

Scanned with CamScanner